

- आदेश :-


उपरोक्त प्रार्थनों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्दाज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्दाज दुरस्ती प्राप्त अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्दाज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पहले इन्दाज					द्वितीय किंवा तृतीय इन्दाज		
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम का नाम	खेती संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
डाकड़ा	308	मोहनराम पुत्र	389	3.42	मोहनराम पुत्र	389	3.42
		बानाराम जति	5		बानाराम जति	5	
		जाट	हिरा		जाट	हिरा	

क्रमांक :- 160

प्रतिलिपि पालनार्थ :-


- उप तहसीलदार, मौलासर


 शिवर प्रसादी
 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर-डीडीएमओ)
 PGKSA-2021, पं.स. मौलासर
 दिनांक :- 12/10/21

क्रमांक :-

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

- पटवार हल्का..... को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।


 शिवर प्रसादी
 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर-डीडीएमओ)
 PGKSA-2021, पं.स. मौलासर
 दिनांक :-

उप तहसीलदार, मौलासर